।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 28.09.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अन्तर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 28.09.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री गोविन्द प्रसाद, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री दिलबाग सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 72 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 72 प्राप्त प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के तहत निम्नांकित बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	सुबे उर्फ सुबेंदार पुत्र डरेलाल	के.का.श्रीगंगानगर	-
2.	नरपत उर्फ नरपत सिंह पुत्र रामप्रसाद	के.का.जयपुर	-
3.	विष्णु पुत्र विनोद	के.का.श्रीगंगानगर	-
4.	महावीर पुत्र शंकरलाल	के.का.जोधपुर	-
5.	शंकरलाल पुत्र रामकरण	के.का.बीकानेर	-

गोविन्द प्रसाद

6.	दशरथ सिंह पुत्र रमेश चंद	वि.के.का.दौसा	–
7.	नाथुराम पुत्र भागीरथ	के.का.अजमेर	–
8.	हरि सिंह उर्फ भोलिया पत्र मदन सिंह	के.का.बीकानेर	–
9.	मदन लाल पुत्र किशनलाल शर्मा	के.का.उदयपुर	–
10.	दिनेश कुमार पुत्र शंकरलाल	के.का.जोधपुर	–
11.	प्रदीप भार्गव पुत्र केशर देव	वि.के.का.श्यालावास	–
12.	विनोद पुत्र रामस्वरूप	के.का.अजमेर	–
13.	देवीलाल उर्फ देवा पुत्र खेमा गमेती	के.का.उदयपुर	–
14.	लक्ष्मी उर्फ हंसी पत्नी देवीलाल उर्फ देवा	म.बं.सु.उदयपुर	–
15.	संजय पुत्र धर्मसिंह	वि.के.का.श्यालावास	–
16.	रणजीत सिंह पुत्र मान सिंह	के.का.कोटा	–
17.	सुरेश भील पुत्र भगाराम	के.का.जोधपुर	–
18.	श्योपाल पुत्र हरदेव	के.का.जयपुर	–
19.	लक्ष्मण पुत्र हलिया कटारा	के.का.उदयपुर	–
20.	आनन्द सिंह पुत्र हटटे सिंह	के.का.कोटा	–
21.	रसाली बाई पत्नी आनन्द सिंह	म.बं.सु.कोटा	–
22.	प्रिन्स शर्मा पुत्र विजय कुमार	के.का.बीकानेर	–

(ब) ऐसे बंदी जो अन्य राज्य के है, जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं अविवाहित है, को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम–3 (क)(ज)(ड) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होगें का प्रावधान है। किन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा एस.बी./डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 1180/2010 काशीराम बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2010, 8587/2011 गीता देवी बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011, 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2025 की पालना में इन दण्डित बंदियों/याचिकाकर्ताओं को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:–

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	रमेश पुत्र किशनलाल	के.का.श्रीगंगानगर	–
2.	भीमसोनी उर्फ दीपेन्द्र पुत्र हनुमान सोनी	के.का.श्रीगंगानगर	–
3.	आसिफ पुत्र आलम	के.का.अलवर	–
4.	संजय डर्फ किशन बुनकर पुत्र बाबूलाल	के.का.अलवर	–
5.	लालचंद पुत्र बिरदीचंद	वि.के.का.श्यालावास	–
6.	बांकेश उर्फ पिन्टू पुत्र मूलचन्द	वि.के.का.श्यालावास	–
7.	कुलदीप पुत्र श्यामलाल	के.का.अजमेर	–
8.	अमित पुत्र वेलाराम	के.का.जोधपुर	–
9.	राहुल कुमार पुत्र छोटेलाल	के.का.अलवर	–
10.	विनोद कुमार मीणा पुत्र प्रताप सिंह मीणा	के.का.उदयपुर	–

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरणः-

(अ)प्रतिबंधित धारा 376/377 आई.पी.सी./ पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने सेः-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नही होने से पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गयाः-

क्र.सं.	बंदी नाम	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	मुखा सिंह पुत्र हजुरा सिंह	के.का.बीकानेर .	धारा 3/4(2) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
2.	वासूदेव सोनी पुत्र आलूमल सोनी	के.का.अजमेर	धारा 5एल/6 पोक्सो एक्ट में मृत्युपर्यन्त आजीवन कारावास से दण्डित
3.	मनीष पुत्र बाबुलाल मीणा	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376(3) आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
4.	चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्दु पुत्र ओमप्रकाश	के.का.अजमेर	धारा 5एम/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
5.	कैलाश पुत्र पेमाराम	वि.के.का. श्यालावास	धारा 376ए.बी. आईपीसी एवं 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन काल तक से दण्डित
6.	राजाराम पुत्र ओटाराम	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376एबी आईपीसी में 20 वर्ष कठोर व 377 भा.द.स. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित

7.	भूरा पुत्र प्रेमसिंह	के.का.अलवर	धारा 5एल/6 पोक्सो एक्ट् में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
8.	विकास चौधरी पुत्र पृथ्वी सिंह	केन्द्रीय करागृह जयपुर	धारा 5(एल)/6, 5(एम)/6, 5(एन)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
9.	रवि कुमार मौर्य पुत्र जवाली	के.का.अलवर	धारा 5/6 पोक्सो एक्ट् में आजीवन कारावास से दण्डित
10.	अमजद पुत्र जाहिद अली	के.का.जोधपुर	धारा 5 (जी)(एम)/6, 5(के)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक से दण्डित
11.	ओमप्रकाश उर्फ ओमाराम पुत्र भीमाराम	के.का.जोधपुर	धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास अंतिम सांस तक से दण्डित
12.	दीता उर्फ दीताराम पुत्र कालाजी	के.का.जोधपुर	धारा 3(बी)/4(2) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास दण्डित
13.	महेश पुत्र कचरू पटेल	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 भा.द.स. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
14.	अनीस उर्फ हनीश पुत्र अनवर हुसैन	के.का.कोटा	धारा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दंडित
15.	सोनू पुत्र सलेन्दर	के.का.श्रीगंगानगर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(एल) आईपीसी 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
16.	गोपाल सिंह पुत्र गंगाराम	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित एवं 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 03 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
17.	नैनगी बाई उर्फ चुन्नी बाई पत्नी राजकुमार	म.बं.सु.कोटा	धारा 16/17 पोक्सो एक्ट मे 07 वर्ष कठोर कारावास से दंडित
18.	नेवा लाल पुत्र सुखलाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376(1) आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित
19.	अब्दुल हय मंसुरी पुत्र हाजी शेर मोहम्मद	के.का.अजमेर	धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास स दण्डित
20.	राकेश कुमावत पुत्र भंवरलाल	के.का.अजमेर	धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास स दण्डित
21.	हरफूल मीणा पुत्र मदन लाल मीणा	जि.का.टोंक	प्रतिबंधित धारा 376भा.द.स. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
22.	रामसेठिया पुत्र ओमप्रकाश	के.का.बीकानेर	धारा 9एम/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित

(ब) राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो बंदी फरारी/अन्य 'प्रतिबंधित धारा/02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित/ जेल दण्ड/ कदाचार(02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं) आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र. सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	अंशुल दुबे पुत्र शिवशंकर दुबे	के.का.जयपुर	बं.खु.शि.सांगानेर में निरूद्धीकरण के दौरान पुलिस थाना मानसरोवर जयपुर द्वारा दिनांक 18.08.2026 को धारा 126/170 बीएनएसएस के तहत् गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया, दिनांक 08.09.2026 को 06 दिवस अर्जित परिहर जब्त करने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया।
2.	समीर अली पुत्र जाकिर अली	के.का.अलवर	बंदी खुला शिविर अलवर से दिनांक 26.06.2026 फरार हो गया जिसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली अलवर में एफआईआर संख्या-353/2026 अपराध धारा 262 बीएनएस 58बी कारागार अधिनियम 2015 दर्ज करवाई गई। उक्त प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर के समक्ष विचाराधीन चल रहा है।पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 18.08.2026 को जेल दाखिल कराया गया। दिनांक 25.07.2026 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया
3.	सौरभ उर्फ सौरव उर्फ विक्की पुत्र कुलदीप सिंह	के.का.बीकानेर	धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 11 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
4.	कालु सिंह पुत्र जीत सिंह	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 397 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से धारा दण्डित
5.	सुखदेव पुत्र सुरजाराम	के.का.अजमेर	धारा 8/15सी एनडीपीएस एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
6.	परमेश्वर व्यास पुत्र दाऊलाल	के.का.उदयपुर	धारा 22सी,25,25ए एनडीपीएस एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन जमानत नही

7.	नरेश कुमार उर्फ राकेश लूथरा पुत्र सोहनलाल	के.का.श्रीगंगानगर	धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
8.	रजनीश पुत्र सतपाल	के.का.श्रीगंगानगर	धारा 8/15,29 एनडीपीएस एक्ट 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
9.	मूलाराम उर्फ मुलदास पुत्र मानदास	के.का.उदयपुर	धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
10.	फरसाराम पुत्र गंगाराम	के.का.उदयपुर	धारा 8/15सी एनडीपीएस एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
11.	गिरीराज पुत्र आनंदीलाल पाण्डे	के.का.उदयपुर	25 प्रकरणों में विचाराधीन है एवं जमानत नही है तथा 18 प्रकरणों में दण्डित है।
12.	लाखन सिंह उर्फ इन्द्रमोहन पुत्र हरीसिंह	के.का.अलवर	05 अन्य विचाराधीन प्रकरण (04 में जमानत नही)
13.	अनिल चौहान पुत्र प्रितम सिंह	के.का.कोटा	धारा 8/15सी एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित
14.	रमनप्रीत सिंह पुत्र प्रकाश सिंह	के.का.कोटा	धारा 8/15सी एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित
15.	दलजीत सिंह पुत्र हरबंश सिंह	के.का.कोटा	धारा 8/15सी एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दंडित
16.	राजेश वेदी पुत्र विश्वनाथ	के.का.बीकानेर	धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित
17.	सुरज सिंह उर्फ पप्पू पुत्र किशन सिंह	के.का.जयपुर	धारा 8सी/20 एनडीपीएस एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
18.	मनोहरलाल पुत्र हरलालराम विश्नोई	के.का.उदयपुर	धारा 8/15बी, 8/25 एनडीपीएस एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(गोविन्द प्रसाद)	(दिलबाग सिंह)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 28.09.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 28.09.2026 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री गोविन्द प्रसाद, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री दिलबाग सिंह, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 13 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
अनिल कुमार पुत्र राजकुमार	वि.के.का. श्यालावास	13222/2026	31.08.2026	09.09.2026
रोशन लाल पुत्र घीसू लाल	वि.के.का. श्यालावास	13222/2026	31.08.2026	09.09.2026
सतीश कुमार उर्फ सेडुराम पुत्र प्रभूदयाल दत्तक पुत्र श्री समर्थलाल	के.का.अलवर	12423/2026	31.08.2026	14.09.2026
नारायणलाल पुत्र छगनलाल	के.का.जोधपुर	18570/2026	15.09.2026	23.09.2026
सुभाष कच्छावाहा पुत्र प्रकाश कच्छावाहा	के.का.जोधपुर	17369/2026	17.09.2026	23.09.2026

रेवन्तदास पुत्र मोटदास	वि.के.का. श्यालावास	21719/2026	18.09.2026	23.09.2026
लखन सिंह पुत्र बच्चू सिंह	के.का.अजमेर	14789/2026	10.09.2026	16.09.2026
हजारी लाल पुत्र दौलतराम	के.का.कोटा	13548/2026	14.09.2026	22.09.2026
सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र	के.का.अजमेर	17800/2026	10.08.2026	22.09.2026
प्रकाश पुत्र मोहन	के.का. बीकानेर	16066/2026	22.09.2026	23.09.2026
सोनू हरिजन पुत्र प्रहलाद	के.का.कोटा	17382/2026	17.09.2026	23.09.2026
छैलसिंह पुत्र हिरसिंह	के.का.जोधपुर	20596/2026	15.09.2026	24.09.2026
हनुमानराम पुत्र बिरमा बिश्नोई	के.का.अजमेर	12288/2026	16.09.2026	23.09.2026

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी अनिल कुमार पुत्र राजकुमार, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावासः-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिकराय, जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 29/2022 अंतर्गत धारा 8/18,8/25,8/29 एनडीपीएस एक्ट में दिनांक 02.12.2024 को 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 30.12.2025 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मिति से बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13222/2026 अनिल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 31.08.2026 पारित किया है कि “ The respondents are directed to reconsider the petitioners' application for transfer to an Open Air Camp afresh, strictly in accordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972, and the judgments passed by Co-ordinate Benches of this Court at the Principal Seat, Jodhpur in the cases of Chothmal Alias Sunil and Nirmal Dudani (supra), and to pass a detailed, reasoned, and speaking order after due application of mind. While doing so, the respondent authorities shall take into account the order of seniority of eligible prisoners, as contemplated under the Rules of 1972.The aforesaid exercise shall be completed within a period of two (2) months from the date of receipt of a certified copy of this order. ”

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 298/2026 चौथमल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2026 के अनुसार प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये है। चौथमल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी चौथमल उर्फ सुनिल पुत्र नर्मदा शंकर नागदा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी अनिल कुमार पुत्र राजकुमार को धारा 8/18,8/25,8/29 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 09.09.2026 तक 04 वर्ष 05 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है और कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13222/2026 अनिल बनाम राजस्थान में जारी आदेश दिनांक 31.08.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी अनिल कुमार पुत्र राजकुमार को कारागृह से बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी रोशन लाल पुत्र घीसूलाल, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावासः-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिकराय, जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 29/2022 अंतर्गत धारा 8/18,8/25,8/29 एनडीपीएस एक्ट में दिनांक 02.12.2024 को 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 30.12.2025 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मिति से बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13222/2026 रोशन बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 31.08.2026 पारित किया है कि '' The respondents are directed to reconsider the petitioners' application for transfer to an Open Air Camp afresh, strictly in accordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972, and the judgments passed by Co-ordinate Benches of this Court at the Principal Seat, Jodhpur in the cases of Chothmal Alias Sunil and Nirmal Dudani (supra), and to pass a detailed, reasoned, and speaking order after due application of mind. While doing so, the respondent authorities shall take into account the order of seniority of eligible prisoners, as contemplated under the Rules of

1972.The aforesaid exercise shall be completed within a period of two (2) months from the date of receipt of a certified copy of this order. "

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 298/2026 चौथमल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2026 के अनुसार प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये है। चौथमल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी चौथमल उर्फ सुनिल पुत्र नर्मदा शंकर नागदा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी रोशन लाल पुत्र घीसूलाल को धारा 8/18,8/25,8/29 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 09.09.2026 तक 04 वर्ष 04 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है और कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13222/2026 अनिल बनाम राजस्थान में जारी आदेश दिनांक 31.08.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी रोशन लाल पुत्र घीसूलाल** को कारागृह से बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी नारायणलाल पुत्र छगनलाल, केन्द्रीय कारागृह जोधपुरः-

बंदी को विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट क्रम संख्या 03 पाली द्वारा प्रकरण संख्या 128/2019 अंतर्गत धारा 363,366 आईपीसी, 6 पोक्सो एक्ट में दिनांक 20.02.2021 को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 30.12.2025 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) से दण्डित होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 18570/2026 नारायणलाल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 15.09.2026 पारित किया है कि " In support of his contention, learned counsel for the petitioner also relied upon the judgment dated 28.10.2025 passed by this Court in **D.B. Criminal Writ Petition No. 2823/2025: Subhash Vs. State of Rajasthan & Ors.**

The petitioner's case is similar to the facts of the decision on which petitioner has placed reliance. Therefore, the impugned order is required to be set aside and remitted back for reconsideration. In the result, the present civil writ

petition is allowed and the impugned order of rejection dated 30.12.2025 (Annexure-2) is set aside. The matter is remitted back for fresh consideration. Thesaid exercise shall be done within a period of one month from thedate of receipt of a copy of this order. ''

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2823/2025 सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 के अनुसार प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये है। सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द्र कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी नारायणलाल पुत्र छगनलाल को 6 पोक्सो एक्ट में दिनांक 20.02.2021 को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) सजा से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 18.09.2026 तक 08 वर्ष 04 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है। कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 18570/2026 नारायणलाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 15.09.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी नारायणलाल पुत्र छगनलाल को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4. दण्डित बंदी सुभाष कच्छावाहा पुत्र प्रकाश कच्छावाहा ,केन्द्रीय कारागृह जोधपुर:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 05 जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 60/2017 अंतुर्गत धारा 302,364,201,397/120बी आईपीसी में दिनांक 29.06.2024 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 17369/2026 सुभाष बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 17.09.2026 पारित किया है कि '' In support of his contention, learned counsel for the petitioner also relied up on the judgment dated 28.10.2025 passed by this Court in **D.B. Criminal Writ Petition No. 2823/2025: Subhash Vs. State of Rajasthan & Ors.**

गोविन्द

The petitioner's case is similar to the facts of the decision on which petitioner has placed reliance. Therefore, the impugned order is required to be set aside and remitted back for reconsideration. In the result, the present civil writ petition is allowed and the impugned order of rejection dated 07.10.2025 (Annexure-2) is set aside. The matter is remitted back for fresh consideration. The said exercise shall be done within a period of one month from the date of receipt of a copy of this order.''

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2823/2025 सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 के अनुसार प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये है। सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द्र कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी सुभाष कच्छावाहा पुत्र प्रकाश कच्छावाहा को प्रतिबंधित धारा 397/120बी आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास सजा से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 18.09.2026 तक 10 वर्ष 01 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है। इस प्रकार बंदी द्वारा प्रतिबंधित धारा की सजा 10 वर्ष की सजा अवधि पूर्ण कर ली है। कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 17369/2026 सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.09.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी सुभाष कच्छावाहा पुत्र प्रकाश कच्छावाहा** को कारागृह से बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

5. दण्डित बंदी रेवन्तदास पुत्र मोटदास, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास:-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट मामलात जिला चूरू द्वारा प्रकरण संख्या 06/2018(72/2018) अंतर्गत धारा 363,366,366ए,323,376(2)(आई), 376डी आईपीसी, 5(जी)/6 पोक्सो एक्ट में पृथक से दण्ड नही देकर 376डी आईपीसी दिनांक 19.10.2022 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 19.03.2025 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 21719/2026 रेवन्त बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक

18.09.2026 पारित किया है कि " In support of his contention, learned counsel for the petitioner also relied up on the judgment dated 28.10.2025 passed by this Court in **D.B. Criminal Writ Petition No. 2823/2025: Subhash Vs. State of Rajasthan & Ors.**

The petitioner's case is similar to the facts of the decision on which petitioner has placed reliance. Therefore, the impugned order is required to be set aside and remitted back for reconsideration. In the result, the present civil writ petition is allowed and the impugned order of rejection dated 19.03.2025 (Annexure-2) is setaside qua the petitioner. The matter is remitted back for fresh consideration. The said exercise shall be done within a period ofone month from the date of receipt of a copy of this order."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2823/2025 सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 के अनुसार प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये है। सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द्र कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी रेवन्तदास पुत्र मोटदास को धारा 376(2)(आई), 376डी आईपीसी, 5(जी)/6 पोक्सो एक्ट में पृथक से दण्ड नही देकर प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास सजा से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 22.09.2026 तक 09 वर्ष 03 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है। कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रेवन्तदास बनाम राजस्थान राज्य में जारी आदेश की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी रेवन्तदांस पुत्र मोटदास** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

6. दण्डित बंदी हजारी लाल पुत्र दौलतराम, केन्द्रीय कारागृह कोटाः-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 128/2015 अंतर्गत धारा 8/19,8/26 एनडीपीएस एक्ट में दिनांक 01.06.2022 को 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13548/2026 हजारी लाल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 14.09.2026 पारित किया है कि " The respondents are directed to reconsider the petitioner's case for transfer to an Open Air Camp afresh, strictly in accordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972, and the judgments passed by Co-ordinate Benches of this Court at the Principal Seat,

Jodhpur in the cases of **Chothmal Alias Sunil and Nirmal Dudani (supra)**, and to pass a detailed, reasoned, and speaking order after due application of mind. While doing so, the respondent authorities shall take into account the duration of sentence served so far and the order of seniority of eligible prisoners, as contemplated under the Rules of 1972. The aforesaid exercise shall be completed within a period oftwo (2) months from the date of receipt of a certified copy of this order. "

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 298/2026 चौथमल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2026 के अनुसार प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये है। चौथमल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी चौथमल उर्फ सुनिल पुत्र नर्मदा शंकर नागदा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी हजारी लाल पुत्र दौलतराम को धारा 8/19,8/26 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 22.09.2026 तक 04 वर्ष 03 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है और कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13548/2026 हजारी लाल बनाम राजस्थान में जारी आदेश दिनांक 14.09.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी हजारी लाल पुत्र दौलतराम** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

7. दण्डित बंदी सोनू हरिजन पुत्र प्रहलाद, केन्द्रीय कारागृह कोटाः-

बंदी को विशेष न्यायालय पोकसो एक्ट कम संख्या 02जिला बारां द्वारा प्रकरण संख्या 103/2018अंतर्गत धारा 363,376 आईपीसी सहपठित धारा, 5(ड)/6 पोक्सो एक्ट में दिनांक 23.10.2019 को आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी सहपठित धारा, 5(ड)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) से दण्डित होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 17382/2026 सोनू बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 17.09.2026 पारित किया है कि "In support of his contention,learned counsel for the petitioner also relied upon the judgment dated 28.10.2025 passed by this

Court in D.B. Criminal Writ Petition No. 2823/2025:Subhash Vs. State of Rajasthan & Ors.

The petitioner's case is similar to the facts of the decision on which petitioner has placed reliance. Therefore, the impugned order is required to be set aside and remitted back for reconsideration.In the result, the present civil writ petition is allowed and the impugned order of rejection dated 09.09.2025 (Annexure-2) is setaside. The matter is remitted back for fresh consideration. The said exercise shall be done within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this order. "

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2823/2025 सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 के समान होना बताया जाकर प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये है। सुभाष बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द्र कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी सोनू हरिजन पुत्र प्रहलाद को प्रतिबंधित धारा 376 आईपीसी सहपठित धारा, 5(ड)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल के लिए) से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 23.09.2026 तक 10 वर्ष 04 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है। कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह कोटा द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 17382/2026 सोनू बनाम राजस्थान राज्य में जारी आदेश दिनांक 17.09.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी सोनू हरिजन पुत्र प्रहलाद को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

8. दण्डित बंदी छैल सिंह पुत्र हिरसिंह, केन्द्रीय कारागृह जोधपुरः-

बंदी को विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट कम संख्या 01 पाली द्वारा प्रकरण संख्या 67/2019 अंतर्गत धारा 342,376(3),376(2)(एन) आईपीसी एवं 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में दिनांक 14.01.2021 को 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी प्रतिबंधित धारा 376(3) आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 20596/2026 छेल सिंह बनाम राजस्थान व

अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 15.09.2026 पारित किया है कि '' Learned counsel for the petitioner submits that the issue involved in the present writ petition is no longer res integra and has been dealt with by a Division Bench of this Court in the case of Mangilal v. State of Rajasthan & Ors.:D.B.Criminal Writ Petition No.1534/2026, decided on 18.05.2026. There fore, it is prayed that the present writ petition be decided in light of Mangilal (supra).

In view of above, the present writ petition is disposed of. The impugned order dated 09.09.2025 rejecting the application of the petitioner for transfer to the Open Air Camp is quashed and set aside qua the present petitioner and the matter is remanded back to the competent authorities for re-considering the case of the petitioner for transfer to Open Air Camp keeping in mind the judgment rendered by this Court in Mangilal (supra). ''

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1534/2026 मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2026 के अनुसार प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये है। मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी मांगीलाल पुत्र चन्द्रप्रकाश को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी छैल सिंह पुत्र हिरसिंह को प्रतिबंधित धारा 376(3) आईपीसी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 23.09.2026 तक 08 वर्ष 06 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है। कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 20596/2026 छैलसिंह बनाम राजस्थान राज्य में जारी आदेश दिनांक 15.09.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी छैल सिंह पुत्र हिरसिंह को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

9. दण्डित बंदी हनुमानराम पुत्र बिरमाराम विश्नोई, केन्द्रीय कारागृह अजमेर:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कैसेज जयपुर महानगर प्रथम द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 अंतर्गत धारा 8/15,8/25,8/29 एनडीपीएस एक्ट में दिनांक 29.04.2022 को 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी धारा 8/18,8/25,8/29 एनडीपीएस एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित

होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12288/2026 हनुमानराम बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 16.09.2026 पारित किया है कि " The respondents are directed to reconsider the petitioner's case for transfer to an Open Air Camp afresh, strictly in accordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972, and the judgments passed by Co-ordinate Benches of this Court at the Principal Seat, Jodhpur in the cases of **Chothmal Alias Sunil and Nirmal Dudani (supra),** and to pass a detailed, reasoned, and speaking order after due application of mind. While doing so, the respondent authorities shall take into account the duration of sentence served so far and the order of seniority of eligible prisoners, as contemplated under the Rules of 1972.The aforesaid exercise shall be completed within a period of three (3) months from the date of receipt of a certified copy of this order. "

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के प्रकरण को एस.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 298/2026 चौथमल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2026 के अनुसार प्रकरण में पुनर्विचार के निर्देश दिये गये है। चौथमल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना में समिति द्वारा पूर्व में दण्डित बंदी चौथमल उर्फ सुनिल पुत्र नर्मदा शंकर नागदा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया है।

बंदी हनुमानराम पुत्र बिरमाराम विश्नोई को धारा 8/18,8/25,8/29 एनडीपीएस एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है और वर्तमान स्थिति में बंदी दिनांक 24.09.2026 तक 08 वर्ष 08 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार भुगती ली है और कारागृह में बंदी का आचरण अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर द्वारा संतोषप्रद बताया गया है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12288/2026 हनुमानराम बनाम राजस्थान में जारी आदेश दिनांक 16.09.2026 की पालना में उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी हनुमानराम पुत्र बिरमाराम विश्नोई को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी सतीश कुमार उर्फ सेडुराम पुत्र प्रभूदयाल दत्तक पुत्र समर्थलाल, केन्द्रीय कारागृह अलवर:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ जिला अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2016 अंतर्गत धारा 302/34 आई.पी.सी. में दिनांक

18.03.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर पूर्व में बंदी को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने की अनुशंषा समिति द्वारा किये जाने पर बंदी को बंदी खुला शिविर में निरूद्ध रखा गया।

दण्डित बंदी सतीश कुमार उर्फ सेडुराम के बंदी खुला शिविर अलवर में निरूद्धीकरण के दौरान दिनांक 01.03.2025 को अनुपस्थित पाया गया। बंदी खुला शिविर से फरार होने पर दिनांक 01.03.2025 को अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह अलवर द्वारा 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी को पुलिस थाना कोतवाली अलवर द्वारा अन्तर्गत धारा 262 बी.एन.एस., 58बी राज.कारागार अधिनियम 2015 में गिरफ्तार कर दिनांक 05.03.2025 को जेल दाखिल किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 19.11.2025 की बैठक में बंदी को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत अपात्र के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12423/2026 सतीश बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 31.08.2026 पारित किया है कि '' In view of the above, the present writ petition is dismissed as withdrawn with liberty to the petitioner to file a fresh representation before respondent No.2 within a period of fifteen(15) days from today. The respondent No.2 is directed to decide the said representation within a period of two months from the date of filing of such representation by a speaking order, strictly in accordance with the law.It is made clear that the a fore said direction to decide such representation has been issued only with a view to ensure an expeditious redressal of the petitioner's grievance. The same shall not be construed to be an order to decide the representation in a particular manner. Furthermore, it is needless to say that after adjudication of the representation, if any cause of action still survives, the petitioner would be at liberty to avail further remedies availableunder the law. ''

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अलवर से प्राप्त टिप्पणी अनुसार दण्डित बंदी सतीश कुमार उर्फ सेडुराम के बंदी खुला शिविर अलवर में निरूद्धीकरण के दौरान दिनांक 01.03.2025 को अनुपस्थित पाया गया। बंदी दिनांक 01.03.2025 को बंदी खुला शिविर से फरार हो गया, जिसके विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली अलवर में एफ.आई.आर. संख्या 174/2025 अंतर्गत धारा 262 बी.एन.एस., 58बी राज.कारागार अधिनियम 2015 में मुकदमा दर्ज कराया गया।

बंदी को पुलिस थाना कोतवाली अलवर द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 05.03.2025 को जेल दाखिल किया गया। इस प्रकार बंदी दिनांक 01.03.2025 से 05.03.2025 बंदी खुला शिविर से फरार रहा है। बंदी खुला शिविर से फरार होने पर अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह अलवर द्वारा दिनांक 01.03.2025 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कृत्य के कारण बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(ग)(छ) में निहित प्रावधानों के तहत पात्रता अर्जित नहीं करता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी सतीश कुमार उर्फ सेडुराम पुत्र प्रभूदयाल दत्तक पुत्र समर्थलाल** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र, केन्द्रीय कारागृह अजमेरः-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 90/1987 अंतर्गत धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 31.03.1989 प्रभावी दिनांक 28.11.2022 को 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 29.07.2026 में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 17800/2026 सत्यनारायण बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 10.08.2026 पारित किया है कि " Considering the aforesaid limited submission made by counsel for the petitioner and looking to the fact that the application submitted by the petitioner dated 02.04.2026 is still lying pending for adjudication before the competent authority, it is expected from the said authority to decide the same expeditiously, as early as possible, within a period of four weeks from the date of receipt of the certified copy of this order, in accordance with law. Before parting with this order, it is made clear that this Court has not issued any directions to the respondent authority to decide the petitioner's application in a particular way. The respondent would be at liberty to decide the same strictly in accordance with law. "

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2026 की पालना में बंदी के प्रकरण का समिति द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी अनुसार दण्डित बंदी को एनडीपीएस एक्ट में दण्डित किये जाने के फलस्वरूप कारागृह से बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नही की है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2026 में उल्लेख है कि बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति को किसी खास तरीके से निर्णय लेने का निर्देश नही दिया है, नियमानुसार बंदी के प्रार्थना पत्र

पर विचार किये जाने का निर्देश दिया है। यदि बंदी का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2026 पर कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो उसे नियमानुसार निस्तारित किया जावे। **बंदी के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2026 पर दिनांक 29.07.2026 की बैठक में विचार कर निस्तारित किया जा चुका है।**

प्रकरण के समग्र अवलोकन से पाया गया कि बंदी को धारा 8/18 एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। उक्त अपराध की प्रकृति गंभीर एवं समाज (Society at large) पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। बंदी का आचरण एवं अन्य पात्रता शर्तो का परीक्षण किया गया, तथापि अपराध की गंभीरता प्रमुख कारक के रूप में विचारणीय है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ओपन एयर कैम्प में स्थानान्तरण कोई मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह एक सुधारात्मक एवं पुनर्वासात्मक व्यवस्था है। ऐसे मामलों में अपराध की प्रकृति, समाज पर प्रभाव एवं सुरक्षा पहलुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपराध की प्रकृति, सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिगत एन.डी.पी.एस.एक्ट में दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में नही निकाले जाने हेतु कमेटी द्वारा विगत वर्षो से अनुशंषा नही की जा रही है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2026 की पालना में बंदी के प्रकरण का गुण-अवगुण के आधार पर परीक्षण कर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी प्रकाश पुत्र मोहन, केन्द्रीय कारागृह बीकानेर:-

बंदी को जिला सत्र न्यायालय माणगांव जिला रायगढ, महाराष्ट्र द्वारा प्रकरण संख्या 11/2014 अंतर्गत धारा 302/34 आई.पी.सी में दिनांक 07.11.2015 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.25 में विचारार्थ रखा गया था। किन्तु बंदी 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16066/2026 प्रकाश बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 22.09.2026 पारित किया है कि " Learned counsel for the petitioner instead of joining the issue on merits submits that she may be permitted to file a detailed application in the light of the judgment rendered by the Co ordinate Bench of this Court in the case of Sandeep vs. Stateof Rajasthan & Ors.(D.B.Criminal Writ Petition No.532/2021), decided on 23.11.2021 and in the case of Rajkumar vs. State of Rajasthan & Ors. (D.B. Criminal Writ Petition No.240/2022), decided on 27.06.2022. She further prays that the respondents may be directed to consider and decide

the application at the earliest. In view of the submissions made before this Court, the present writ petition stands disposed of with liberty to the petitioner to file a fresh application for transfer of the petitioner to the open air camp. In case such application is filed, the respondents shall decide the same expeditiously, preferably with ina period of four weeks from the date of receipt of such application strictly in accordance with law "

समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि बंदी नियमित पैरोल से दिनांक 22.07.2018 से 10.05.2019 तक एवं दिनांक 13.08.2021 से 26.06.2022 तक फरारशुदा। इसके बंदी 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित किया गया है। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर द्वारा प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 20.06.2023 को अन्य बंदी नरेश के साथ सहयोग कर मोबाईल में वीडियो बनाने एवं फोटो खींचे गये तथा बंदी नरेश द्वारा वीडियो वायरल करने पर दिनांक 06.07.2023 को 04 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किये जाने पर राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(ग)(च)(छ) के अंतर्गत पात्र नही है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2026 की पालना में बंदी के प्रकरण का गुण-अवगुण के आधार पर परीक्षण कर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी प्रकाश पुत्र मोहन** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

<u>निर्णित प्रकरण का विवरण :-</u>

1. दण्डित बंदी लखन सिंह पुत्र बच्चू सिंह, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेरः-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस एवं सेशन न्यायाधीश अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 23/05/2017 अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दिनांक 14.11.2022 को 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी में 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 14789/2026 लखन बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका में आदेश दिनांक 10.09.2026 पारित किया है कि "The respondents are directed to reconsider the petitioner'scase for transfer to an Open Air Camp afresh, strictly in accordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules. 1972, and the judgments passed by Co-ordinate Benches of this Court at the Principal Seat, Jodhpur in the cases of Chothmal Alias Sunil and Nirmal Dudani (supra), and to pass a detailed, reasoned, and speaking order after due application of

mind. While doing so, the respondent authorities shall take into account the duration of sentence served so far and the order ofseniority of eligible prisoners, as contemplated under the Rules of 1972.The aforesaid exercise shall be completed within a period of two (2) months from the date of receipt of a certified copy of this order."

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.09.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि अधीक्षक उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी के सभी मूल प्रकरणों में जमानत होने पर दिनांक 13.02.2026 को कारागृह से रिहा किया जा चुका है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दण्डित बंदी लखन सिंह पुत्र बच्चू सिंह की जमानत पर बंदी को कारागृह से रिहा होने की सूचना राजकीय अधिवक्ता के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(गोविन्द प्रसाद)	(दिलबाग सिंह)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य
महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर